

परिशिष्ट-

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3407

माननीय सदस्य श्री यादवेन्द्र सिंह

सदन में उत्तर देने का दिनांक 15.07.2024

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3407 के संबंध में जानकारी

क्र०	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का दिनांक एवं विषय	शिकोयत की अद्यतन स्थिति
01	श्री राजेश कुमार शर्मा निवासी टीकमगढ़	दिनांक 4.8.2022 इंदिरा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादा टीकमगढ़	शिकायत को जांच कार्यवाही हेतु कार्यालयीन पत्र दिनांक 16.08.2022 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग को भेजा गया। प्रतिवेदन अपेक्षित।
02	श्री कोमल सिंह निवासी टीकमगढ़	दिनांक 24.09.202 गबन घोखाघडी के संलिप्तता संबंधी	शिकायत को जांच हेतु संयुक्त आयुक्त सह० सागर संभाग को पत्र दिनांक 30.09.2022 से प्रेषित किया गया। प्रतिवेदन अपेक्षित।
03	श्री व्ही.के. चतुर्वेदी 02 शिकायतें।	1-दिनांक 17.12.21आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी। 2-दिनांक 15.01.22अनुशासनहीन एवं भ्रष्ट कर्मचारी होने संबंधी शिकायत	1-कार्यालयीन अर्धशासकीय पत्र दिनांक 25.01.2022 से संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर को जांच हेतु प्रेषित। प्रतिवेदन अपेक्षित। 2- कार्यालयीन पत्र दिनांक 11.02.2022 से जांच हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग को प्रेषित। प्रतिवेदन अपेक्षित।
04	श्री हरदेव सिंह भोपाल	विपणन सहकारी संस्था मर्यादा टीकमगढ़ में हुये गबन के संबंध में परिणामदायक कार्यवाही नहीं करना	संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग से दिनांक 31.10.2023 से प्रतिवेदन के आधार पर श्री एस०पी०कौशिक उपायुक्त टीकमगढ़ को कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 15.12.2023 को जारी। उत्तर अपेक्षित
05	श्री राजेश कुमार मामौन टीकमगढ़	उपायुक्त सहकारिता श्री एस०पी० कौशिक टीकमगढ़ द्वारा इंदिरा गृह निर्माण सह० समिति के अंतर्गत निर्मित अवैध कालोनियों में स्वयं संलिप्त रहते हुये व्यापक स्तर पर की गई घपलेबाजी पर वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।	शिकायत के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर म०प्र० शासन सहकारिता विभाग के द्वारा दिनांक 15.03.2024 के द्वारा नियम 14 कारण बताओं सूचना पत्र आरोप पत्रादि सहित जारी किया गया। उत्तर श्री कौशिक के स्तर से अपेक्षित।


श्री. यशवंतराव चवण
 मध्य प्रदेश शासन,
 सहकारिता विभाग.